(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3382–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–8–2016 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 58/अपील/2015–16.

1– नर्मदा पुत्र नन्दकिशोर
2– सोनू पुत्र नन्दकिशोर
3– देवेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर
4– गोपाल पुत्र नन्दकिशोर
निवासीगण ग्राम बरखेड़ी खुर्द
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती उमा देवी पत्नी के.एन. शुक्ला
निवासी ए–12 आकृति गार्डन, नेहरू नगर रोड
जिला भोपाल
2– सीता पिता डालचन्द
3– धनीराम पिता डालचन्द
4– प्रेमनारायण पिता डालचन्द
5– हरीप्रसाद पिता डालचन्द
6– बृजलाल पिता डालचन्द
7– करण सिंह पिता डालचन्द
8– बसन्ती बाई पिता डालचन्द
निवासीगण ग्राम बरखेड़ी खुर्द
तहसील हुजूर जिला भोपाल
9– स्टरलिंग कान्ट्रेक्ट एण्ड बिल्डर्स
द्वारा अवनीश सबरलाल
निवासी भोपाल ....अनावेदकगण

श्री योगन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अमावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/4/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बरखेड़ी खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 76/1 ख, 76/2, 76/3/1 एवं 76/3/2 का सीमांकन कराये जाने पर रकबा 0.23 एकड़ पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ—70/2014—15 दर्ज कर दिनांक 9—10—2015 को आदेश पारित कर आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7—1—2016 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 8—8—2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा शासकीय नाले को प्रायवेट बताकर अनावेदकगण को कब्जा सौप रहा है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा अवैधानिक रूप से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया गया है ।

(3) इस न्यायालय द्वारा सीमांकन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी समय—सीमा के बिन्दु पर निरस्त की गई है, गुण—दोष पर निराकरण नहीं किया गया है, और इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 15960/16 विचारधीन है ।

(4) सीमांकन प्रकरण कमांक 14/अ—12/14—15 में फील्ड बुक संलग्न नहीं की गई है, और न ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

(5) सीमांकन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय नहीं दिया जाकर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर निगरानी निरस्त किया गया है, अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को बिना प्रदर्श किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन गठित दल द्वारा विधिवत पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर दिनांक 6–6–2015 को किया गया है, जिसमें रकबा 0.23 एकड़ पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है । अतः उक्त सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा कब्जा हटाने का आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय के सीमांकन आदेश दिनांक 6–6–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 737/पीबीआर/16 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–4–2016 को आदेश पारित किया जाकर सीमांकन को विधिसम्मत मान्य करते हुए निगरानी निरस्त किया गया है ।

(4) इस न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देने संबंधी काल्पनिक एवं झूठा तथ्य आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्रकरण में याचिका का नम्बर नहीं दिया गया है ।

(5) संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 178, 2004 आर.एन. 275, 2006 आर.एन. 415 एवं 1997 आर.एन. 92 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

6/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण की ओर से उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि के किये गये सीमांकन एवं पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाते हुए कब्जा दिलाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को दिलाये जाने

का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा निरस्त की गई हैं । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जिस सीमांकन आदेश दिनांक 15–6–2015 को आधार मानकर आदेश पारित किये गये हैं, उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण कमांक निगरानी 737–पीबीआर/16 में दिनांक 2–3–2017 को आदेश पारित कर सीमांकन आदेश निरस्त किया गया है । अतः इसी आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं । यदि अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि का दोबारा सीमांकन कराये जाने पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया जाता है, तब वे पुनः संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–2016, अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2016 एवं तहसीलदार, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल 9–10–2015 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर